न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– रक्षा पारीक, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 122/2025 (प्रा०प०)
दायर दिनांक – 02/06/2025
निर्णय दिनांक – 14/08/2025

अनवान

1. अभिमन्युसिंह पिता केशरसिंह राजपूत निवासी कुंठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

विपक्षी

उपस्थित –
प्रार्थीगण की ओर से – श्री ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता
विपक्षीगण की ओर से – पेरोकार सरकार

दिनांक – 14/08/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रस्तुत किया कि राजस्व गांव कुंठवा, पटवार हल्का कुंठवा तहसील नाथद्वारा में कृषि आराजी संख्या 2470 रकबा 58.1861 हैक्टेयर स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में वर्तमान में प्रार्थी एवं गणपतसिंह पुत्र किरतसिंह एवं रतन कुंवर पुत्री किरतसिंह के नाम दर्ज है। उपरोक्त कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि के पास में ही पुर्व दिशा की ओर आराजी संख्या 4434/2470 स्थित है वह राजस्व रेकर्ड अनुसार ही राजस्व नक्शें में भी तरमीम थी उसी अनुसार खातेदार अपनी अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि के आराजी संख्या 2470 के पूर्व दिशा में विपक्षी की आराजी संख्या 4434/2470 लठठे शीट के नक्शें में तरमीम थी तथा पूर्व में तरमीम सही थी परन्तु वक्त सेग्रिगेशन आराजी संख्या 4434/2470 को प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 2470 के पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में तरमीम कर दिया गया जो वक्त सेग्रिगेशन के अशुद्वी तरमीम कर दी गई है इसलिए प्रार्थी पुनः पूर्व में तरमीम लठठे शीट के अनुसार करवाने का अधिकारी है उक्त अशुद्दि वक्त सेग्रिगेशन हुई है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी संख्या 2470 एवं विपक्षी की आराजी संख्या 4434/2470 मध्य वर्तमान नक्शें में हुई अशुद्दि को पुनः शुद्दि करवाने का

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राज.)

अधिकारी है तथा पूर्व में नक्शें लठ्ठेशीट के अनुसार पुनः शुद्व कराने का अधिकारी है चुंकि उक्त तरमीम वक्त सग्रिगेशन हुई है तथा सेग्रिगेशन के नक्शे के पूर्व में उक्त आराजी का नक्शें में सही तरमीम हुई थी इसलिए पुनः प्रार्थी पूर्व नक्शें अनुसार वर्तमान नक्शें में अशुद्वि को शुद्वि कराने का अधिकारी है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा मनमकसुद तरीके से बिना रेकार्ड की जांच किये राजस्व नक्शें में गलत तरमीम कर दिया गया है जिससे राजस्व रेकर्ड में पुनः सही तरमीम कराया जाना नितान्त आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। उक्त नक्शें में हुई अशुद्वि को पुनः शुद्व किये जाने पर किसी भी पक्षकार पर कोई क्षति होने वाली नही है तथा राजस्व रेकर्ड में भी कोई विपरित प्रभाव पडने वाला नही है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को आदेश दिया जावे कि राजस्व ग्राम कुंठवा, पटवार हल्का कुंठवा तहसील नाथद्वारा में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित प्रार्थी की आराजी संख्या 2470 रकबा 58.1861 हैक्टेयर एवं विपक्षी की आराजी संख्या 4434 / 2470 रकबा 10.6230 हैक्टेयर के मध्य हुई नक्शें में अशुद्वि को शुद्व अंकन करने का आदेश फरमावें। ।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी का जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार नाथद्वारा ने अपने पत्रांक 921 दिनांक 27.07.2025 के द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस मय रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि ग्राम कुंठवा के खसरा नम्बर 2470 रकबा 58.1861 हैक्टेयर किस्म बंजड होकर अभिमन्युसिंह पुत्र केशरसिंह 1/3, गणपतसिंह पुत्र किरतसिंह 1/3, रतन कुंवर पुत्री किरतसिंह 1/3 जाति राजपूत सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। खसरा नम्बर 4434 / 2470 रकबा 10.6230 हैक्टेयर किस्म आरक्षित होकर आरक्षण जंगलात के नाम दर्ज रेकर्ड है। मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 2470 के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 4434 / 2470 वर्तमान नक्शें (सेग्रिगेशन के बाद) में दर्ज है, जबकि नक्शा लठ्ठा ट्रेस (सेग्रिगेशन के पूर्व) में खसरा नम्बर 2470 के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 4434 / 2470 दर्ज है जो कि सही है, जबकि सेग्रिगेशन में उक्त खसरा नम्बर 4434 / 2470 को पश्चिम दिशा के बजाय पूर्व दिशा में दर्ज (तरमीम) कर दी गई जो कि अशुद्व है। ग्राम कुंठवा के खसरा नम्बर 2470 के पूर्व दिशा में दर्ज खसरा नम्बर 4434 / 2470 को पश्चिम दिशा में दर्ज किया जाना उचित है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं उक्त त्रुटि को शुद्व किये जाने का निवेदन किया गया। विपक्षी ने ग्राम कुंठवा के खसरा नम्बर 2470 के पूर्व दिशा में दर्ज खसरा नम्बर 4434 / 2470 को पश्चिम दिशा में दर्ज किया जाना उचित होना जाहिर किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राज.)

विद्वान प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आवलोकन किया गया तो जाहिर आया है कि तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 2470 के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 4434 / 2470 वर्तमान नक्शें (सेग्रिगेशन के बाद) में दर्ज है, जबकि नक्शा लठ्ठा ट्रेस (सेग्रिगेशन के पूर्व) में खसरा नम्बर 2470 के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 4434 / 2470 दर्ज है जो कि सही है, जबकि सेग्रिगेशन में उक्त खसरा नम्बर 4434 / 2470 को पश्चिम दिशा के बजाय पूर्व दिशा में दर्ज (तरमीम) कर दी गई जो कि अशुद्व है। ग्राम कुंठवा के खसरा नम्बर 2470 के पूर्व दिशा में दर्ज खसरा नम्बर 4434 / 2470 को पश्चिम दिशा में दर्ज होना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र न्याय संगत उचित प्रतीत होता है।

– : आदेश : –

अतः उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व करने में सफल रहने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व ग्राम कुंठवा के खसरा नम्बर 2470 के पूर्व दिशा में दर्ज खसरा नम्बर 4434 / 2470 को सेग्रिगेशन से पूर्व नक्शा ट्रेस के अनुरूप खसरा नम्बर 4434 / 2470 को खसरा नम्बर 2470 के पूर्व दिशा के बजाय पश्चिम दिशा में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकन किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार नाथद्वारा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14 / 08 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय की मोहर से सरे ईजलास सुनाया गया।

(रक्षा पारीक)
उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राज.)